

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा0पत्र संख्या
17/10/2019

रजि0 नम्बर
2019/00030

प्रवेश तिथि
13-03-2019

निर्णय दिनांक
09-09-2021

01- प्रवर्तन निरीक्षक अलवर

-सायल

बनाम

01- मैसर्स अशोक झालानी व अन्य

-गैर सायल

प्रा0पत्र विरुद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित:-

01-शैलेन्द्र भार्गव

-वकील गैर सायल

-:निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त टैंकर संख्या आर.जे. 02 जी. 2623 जिसका नया रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.02 जी.ए. 4007 को सरेण्डर करने की अनुमति देते हुए सुपुर्दनाम निरस्त फरमाया जावे व टैंकर का भौतिक कब्जा लिया जावे। ताकि जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 13.03.2006 के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक अलवर द्वारा उक्त टैंकर को नीलाम कर नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराये।

हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विरुद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 12.06.2004 को प्रवर्तन अधिकारी ने टैंकर संख्या आर.जे.02 जी. 2623 हाल-नम्बर आर.जे.02 जी.ए. 4007 बमय केरोसीन जब्ज किया था। इस सम्बन्ध में प्रवर्तन अधिकारी अलवर ने न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 13.03.2006 पारित कर जिला रसद अधिकारी अलवर का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त 12000 लीटर केरोसीन तेल टैंकर नम्बर आर.जे.02 जी. 2623 एवं 18 ड्रम व उसमें भरे हुए तेल को राजसात किया तथा केरोसीन तेल का पूर्व में अन्तिम निस्तारण कर दिया हो तो उससे प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराये जाने एवं टैंकर पूर्व में श्री अशोक झालानी को सुपुर्दनामे पर दिया गया है। सुपुर्ददार से टैंकर प्राप्त कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की जाकर उससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने के आदेश पारित किये है। न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 13.03.2006 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा फौजदारी निगरानी संख्या 62/2009 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलवर में दायर की उक्त निगरानी को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र

जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

न्यायाधीश संख्या-02 अलवर द्वारा दिनांक 18.07.2009 को निर्णित कर आदेश पारित किया कि " निगरानीकर्ता टैंकर संख्या आर.जे.02 जी. 2623 के क्रम में 205000/-रूपये की बैंक गारंटी विद्वान जिला कलक्टर अलवर के संतोषप्रद पांच साल की अवधि की इन शर्तों के साथ विद्वान जिला कलक्टर अलवर के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दे कि वह विद्वान जिला कलक्टर अलवर/विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा गांगने पर उक्त टैंकर प्रस्तुत कर देगा।" उक्त आदेशों की पालना में प्रार्थी द्वारा समय समय पर बैंक गारंटी की अवधि बढ़वायी जाती रही है। अन्तिम बार प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2016 को बैंक गारंटी की अवधि बढ़वाई गई है। अब प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि उक्त टैंकर वर्ष 1995 का बना हुआ है और वह उपयोग का नहीं है उक्त टैंकर को सुपुर्दनामे पर नहीं लेना चाहता है व टैंकर का सरेण्डर करना चाहता है।

पत्रावली में पूर्व में माननीय जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 17.07.2004 द्वारा पांच लाख रूपये की जमानत/सुपुर्दनामा पेश करने पर जव्तशुदा वाहन संख्या आर. जे.02 जी.2623 को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेशों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं बहस पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि पूर्व में माननीय न्यायालय अति.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02 अलवर के निर्णय के अधीन रहने के आदेश पारित किये है। वकील अप्रार्थी ने वाहन को क्षतिग्रस्त होने के कारण नीलामी की कार्यवाही करने का निवेदन किया है। चूंकि प्रकरण में इस न्यायालय को वाहन से सम्बन्धित निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पूर्व से ही सुपुर्दगी में दिया गया है। प्रार्थी द्वारा समय-समय पर सक्षम न्यायालय में बैंक गारंटी की अवधि बढ़ाये जाने के आदेश प्राप्त किये जा रहे है।

अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जव्तशुदा वाहन संख्या आर.जे.02 जी. 2623 को नीलाम करने के आदेश दिये जाते है।साथ ही उक्त आदेश सक्षम न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

प्रा०पत्र संख्या 17/10/2019	रजि० नम्बर 2019/00030	प्रवेश तिथि 13-03-2019	निर्णय दिनांक 09-09-2021
--------------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

01- प्रवर्तन निरीक्षक अलवर -सायल

बनाम

01- मैसर्स अशोक झालानी व अन्य -गैर सायल

प्रा०पत्र विरुद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित:-

01-शैलेन्द्र भार्गव

-वकील गैर सायल

:-निर्णय:-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त टैंकर संख्या आर.जे. 02 जी. 2623 जिसका नया रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.02 जी.ए. 4007 को सरेण्डर करने की अनुमति देते हुए सुपुर्दनाम निरस्त फरमाया जावे व टैंकर का भौतिक कब्जा लिया जावे। ताकि जिला कलक्टर महोदय के आदेश दिनांक 13.03.2006 के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक अलवर द्वारा उक्त टैंकर को नीलाम कर नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराये।


हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विरुद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 12.06.2004 को प्रवर्तन अधिकारी ने टैंकर संख्या आर.जे.02 जी. 2623 हाल-नम्बर आर.जे.02 जी.ए. 4007 बमय केरोसीन जब्ज किया था। इस सम्यन्ध में प्रवर्तन अधिकारी अलवर ने न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 13.03.2006 पारित कर जिला रसद अधिकारी अलवर का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जक्त 12000 लीटर केरोसीन तेल टैंकर नम्बर आर.जे.02 जी. 2623 एवं 18 ड्रम व उसमें भरे हुए तेल को राजसात किया तथा केरोसीन तेल का पूर्व में अन्तिम निस्तारण कर दिया हो तो उससे प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराये जाने एवं टैंकर पूर्व में श्री अशोक झालानी को सुपुर्दनामे पर दिया गया है। सुपुर्ददार से टैंकर प्राप्त कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की जाकर उससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने के आदेश पारित किये हैं। न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 13.03.2006 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा फौजदारी निगरानी संख्या 62/2009 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलवर में दायर की उक्त निगरानी को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र

जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

न्यायाधीश संख्या-02 अलवर द्वारा दिनांक 18.07.2009 को निर्णित कर आदेश पारित किया कि " निगरानीकर्ता टैंकर संख्या आर.जे.02 जी. 2623 के क्रम में 205000/-रूपये की बैंक गारंटी विद्वान जिला कलक्टर अलवर के संतोषप्रद पांच साल की अवधि की इन शर्तों के साथ विद्वान जिला कलक्टर अलवर के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दे कि वह विद्वान जिला कलक्टर अलवर/विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा मांगने पर उक्त टैंकर प्रस्तुत कर देगा।" उक्त आदेशों की पालना में प्रार्थी द्वारा समय समय पर बैंक गारंटी की अवधि बढ़वायी जाती रही है। अन्तिम बार प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2016 को बैंक गारंटी की अवधि बढ़वाई गई है। अब प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि उक्त टैंकर वर्ष 1995 का बना हुआ है और वह उपयोग का नहीं है उक्त टैंकर को सुपुर्दनामे पर नहीं लेना चाहता है व टैंकर का सरेण्डर करना चाहता है।

पत्रावली में पूर्व में माननीय जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 17.07.2004 द्वारा पांच लाख रूपये की जमानत/सुपुर्दनामा पेश करने पर जव्तशुदा वाहन संख्या आर. जे.02 जी.2623 को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेशों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं बहस पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि पूर्व में माननीय न्यायालय अति.वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02 अलवर के निर्णय के अधीन रहने के आदेश पारित किये है। वकील अप्रार्थी ने वाहन को क्षतिग्रस्त होने के कारण नीलामी की कार्यवाही करने का निवेदन किया है। चूंकि प्रकरण में इस न्यायालय को वाहन से सम्बन्धित निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पूर्व से ही सुपुर्दगी में दिया गया है। प्रार्थी द्वारा समय-समय पर सक्षम न्यायालय में बैंक गारंटी की अवधि बढ़ाये जाने के आदेश प्राप्त किये जा रहे है।

अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जव्तशुदा वाहन संख्या आर.जे.02 जी. 2623 को नीलाम करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही उक्त आदेश सक्षम न्यायालय के निर्णयाधीन रहेंगे।


अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
(प्रथम) अलवर